

**उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
(अधोसंरचना विकास कक्ष)**

कमांक 197/अधोविक/बी-2/2015/156

भोपाल, दिनांक 16/09/2015


: आदेश :

मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 के तहत जारी दिशा निर्देश अन्तर्गत रीवा संभाग के अन्तर्गत आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों की भूमि की दरों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क.	जिले का नाम	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	निकटतम असिंचित भूमि की दर प्रति हे०	०.६ से भाग देने पर दर प्रति हेक्टेयर	भूमि की दर प्रति वर्गमीटर
1	2	3	4	5	6
1	रीवा	अर्द्धशहरी औद्योगिक संस्थान बिछिया रीवा	90350000/-	150583333/-	1506/-
2	सतना	सतना	125000000/-	208333333/-	2083/-
3		मटेहना	10900000/-	18166666/-	182/-
4	सीधी	ग्रामीण कर्मशाला उत्तर करौदिया सीधी वार्ड कमांक 10 नगरपालिका	2119260/-	3532100/-	353/-
		औद्योगिक संस्थाना मडरिया सीधी वार्ड कमांक 24 नगरपालिका	2092200	3487000/-	349/-
5	सिंगरोली	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
6	उमरिया	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
7	अनूपपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
8	शहडोल	नरसरहा	70000000/-	116666666/-	1167/-
		ग्रामीण कर्मशाला बुढार	48000000/-	80000000/-	800/-

उक्त भूमि की दरें वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिये मान्य होंगी, वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु पृथक से दरों का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

उद्योग आयुक्त द्वारा अनुमोदित।


**अपर संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त, म०प्र०**